जैतून फार्मो पर पौधो की पत्तियो की चाय अथवा अन्य उपयोग हेतु इन पत्तियो की नीलामी हेतु शर्ते

1. राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन लि0 के जैतून फार्म पर उपलब्ध 80 प्रतिशत पौधो की पत्तियो की चाय अथवा अन्य उपयोग हेतु इन पत्तियो की नीलामी प्रकिया में किसी भी जनसामान्य/फर्म/संस्था/कम्पनी आदि द्वारा राशि रू0 1,00,000/- नकद अथवा डी. डी. (जो कि राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन लि0 के नाम देय हो) जमा करवा के बोली में भाग लिया जा सकता है।
2. अधिकतम बोली दाता के अतिरिक्त अन्य सभी बोलीदाताओ की राशि बोली समाप्त होने के तत्काल पश्चात लौटा दी जायेगी।
3. अधिकतम बोली दाता को बोली स्वीकृत होने के पश्चात 3 दिवस में कुल बोली का 75 प्रतिशत राशि जमा करवानी होगी।
4. शेष 25 प्रतिशत राशि बोली स्वीकृत होने की तिथि से 20 दिवस में जमा करवाया जाना आवश्यक होगा। निर्धारित अवधि में जमा नहीं करवायी जाने की स्थिति में पूर्व में जमा समस्त राशि जब्त कर ली जायेगी।
5. बोली के समय जमा करवायी गयी राशि रू0 1,00,000/- का समायोजन नीलामी बोली की अंतिम किश्त में किया जायेगा।
6. नीलामी 5 वर्षो के लिये की जायेगी। जबकि नीलामी की राशि प्रत्येक वर्ष जमा करवायी जायेगी। प्रत्येक वर्ष का निर्धारण नीलामी के आदेश जारी होने की तिथि से किया जायेगा।
7. इस हेतु सफल निविदादाता एक अनुबंध निष्पादित करेगा ।
8. सफल निविदादाता द्वारा शेष 4 वर्षो की प्रतिभूति एक बैंक गांरटी कम्पनी के पास गिरवी के रूप मे रखी जायेगी जो किसी भी शर्त कें उल्लधंन की दशा में जब्त की जा सकेगी।
9. निविदादाता के साथ साथ यदि अनुबंध अवधि संतोषजनक रहती है तो 5 वर्ष के बाद अपनायी जाने वाली नीलामी प्रकिया में Right to refusal for highest Bid का अधिकार दिया जायेगा अर्थात किसी अन्य की बोली स्वीकार करने से पूर्व यदि इस प्रकिया से अनुमोदित निविदादाता उस राशि पर कार्य करने को सहमत है तो उसे ही का अवसर दिया जायेगा।
10. पत्तियो की आवक बढाने के उदेश्य से निविदादाता स्वंय के व्यय पर आधारभूत संसाधन का निर्माण कर सकेगा। अनुबंध अवधि के बाद यदि कोई स्थाई श्रेणी का संसाधन बनता है तो उस पर मालिकाना हक राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन लि0 का होगा।

15/9/16